समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

पत्रांक–5–3/22– 317 /रा0, दिनांक– 7·3–22

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
जमुई।

सेवा में,

संयुक्त सचिव–सह–
अपर विधि परामर्शी,
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार विधान सभा में दिनांक–07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–1255/जे0, दिनांक–05.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में बिहार विधान सभा में दिनांक–07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन का उत्तर सामग्री निम्न प्रकार है :–

क्र0	ध्यानाकर्षण सूचना	उत्तर
1	2	3
1	"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का आदेश देश के सभी भूभाग में मान्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल वाद सं0–4850/2021 के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया है कि देश के मठ–मंदिरों की परिसम्मपतियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। वह राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अन्तर्गत पूरे राज्य में मठ–मंदिरों के नाम पर निबंधित एवं अनिबंधित 30,000(तीस हजार) एकड़ भूमि है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि है, जिसमें अधिकांश भूमि स्थानीय लोगों के अवैध कब्जा में है। अतः उक्त भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराकर उसकी बिक्री पर रोक लगाने एवं मठ–मंदिरों के नाम पर अनिबंधित भूमि को समयबद्व अभियान चलाकर निबंधित कराने तथा भूमि को पैमाईश कराकर पिलरिंग कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते है।"	बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अन्तर्गत जमुई में कुल 33 धर्मशाला, कबिरमठ, मंदिरों एवं धार्मिक संस्थान के नाम पर निबंधित है, जिसका कुल रकवा–58.06 एकड़ भूमि की परिम्मपति है। जमुई जिलान्तर्गत कुल 33 धर्मशाला, कबिरमठ, मंदिरों एवं धार्मिक संस्थान अनिबंधित है, जिसका कुल रकवा–43.95 एकड़ भूमि की परिम्मपति है। धार्मिक न्यास के अन्तर्गत निबंधित एवं अनिबंधित धर्मशाला, कबिरमठ, मंदिरों एवं धार्मिक संस्थान की परम्मपितयों का अवैध कब्जा एवं बिक्री से संबंधित कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है।

विश्वासभाजन,

07/03/2022

जिला पदाधिकारी,
जमुई।